न्याय आपके द्वार अभियान 2018
शिविरः– देसूरी
दिनांक :– 21.05.2018

सरकार **बनाम** मोहम्मद हुसैन वगेरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व विविध संख्या 07/2002

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
21.05.2018	प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार देसूरी को सुना गया। इस प्रकरण में तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 31.03.1998 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि हाल ख.सं. 1385 को राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज करने के आदेश दिये गये। पश्चात अप्रार्थी याकुबखां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राज. काश्त. अधिनियम पर दिनांक 18.05.1998 को पूर्व निर्णय दिनांक 31.03.1998 को रिव्यू किया गया। पश्चात् अप्रार्थीगणों के देहान्त होने से यह पत्रावली अप्रार्थीगणों के कायम मुकाम की तलबी में लम्बित रही। इस प्रकरण में राजस्व अभिलेखों से यह जाहिर है कि मौजा देसूरी के गत खसरा संख्या 369 रकबा 05 बिस्वा भूमि गे.मु. बेरा सिवायचक दर्ज था। भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त भूमि के नये खसरा संख्या 1385 अप्राथीगणों की खातेदारी में अनियमित रूप से जाहिर है व इसी को दृष्टिगत रखते हुये तात्कालीन उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 31.03.1998 को निर्णय पारित कर वादग्रस्त भूमि को सिवायचक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये। पश्चात इस प्रकरण में प्रार्थीगणों द्वारा धारा 229 राज. काश्त. अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र पर दिनांक 18.05.1998 को आदेश पारित किया गया। विधि अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश को रिव्यु किये जाने के लिये भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 में पुनरावलोकन के प्रावधान है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं पूर्व में उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.1998 यथावत रखते हुये मौजा देसूरी स्थिति भूमि खसरा नम्बर 1385 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गे.मु. बेरा राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना के लिए निर्णय की एक प्रति तहसीलदार देसूरी पटवारी हल्का देसूरी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो। (राजेश मेवाड़ा) उपखण्ड अधिकारी देसूरी क्रमांक/रीडर/2018/ दिनांकः– 21.05.2018 प्रतिलिपि :– 1. तहसीलदार देसूरी 2. पटवारी हल्का देसूरी	